

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जून, 2011

क्रमांक 1535/जी-1312/2009/1-सूअप्र

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय:- भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शुल्क की अदायगी।

संदर्भ:- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली का कार्यालयीन ज्ञापन संख्या-एफ10/9/2008-आई.आर., दिनांक 26 अप्रैल, 2011।

--00--

निर्देशानुसार, उपरोक्त विषयक भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली का कार्यालयीन ज्ञापन संख्या-एफ 10/9/2008-आई.आर. दिनांक 26 अप्रैल, 2011 पत्र की छायाप्रति सूचनार्थ संलग्न प्रेषित है।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

सही
(सैयद कौसरे अली)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
रायपुर, दिनांक 7 जून, 2011

पृष्ठांकन क्रमांक: 1536/जी-1312/2009/1-सूअप्र,

प्रतिलिपि :-

1. डॉ. कृष्ण गोपाल वर्मा, निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की ओर उनके पत्र संख्या-एफ10/9/2008-आई.आर., दिनांक 26.04.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, छ.ग. रायपुर।
3. सचिव, छ.ग. राज्य सूचना आयोग, शंकर नगर, रायपुर।
4. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़।
5. सचिव, छ.ग. विधानसभा सचिवालय, रायपुर।

6. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
 7. सचिव, लोक सेवा आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग/महिला अयोग/किसान आयोग/ युवा आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/मानव अधिकार आयोग/अल्प संख्यक कल्याण आयोग, छ.ग. रायपुर।
 8. सचिव, मान. मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन, रायपुर।
 9. विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त मान. मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, मंत्रालय, रायपुर।
 10. आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली।
 11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. रायपुर।
 12. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
 13. महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय, छ.ग. बिलासपुर।
 14. रजिस्ट्रार, छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
 15. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मंत्रालय, रायपुर।
 16. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर।
 17. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क, छ.ग. रायपुर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सही
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग